

## मध्यप्रदेश शासन वन विभाग

### मंत्रालय

वल्लभ भवन भोपाल-462004

क्रमांक एफ-26/99/11/10/3

भोपाल, दिनांक 27 नवम्बर, 1999

प्रति,

**प्रधान मुख्य वन संरक्षक**

**मध्यप्रदेश, भोपाल**

**विषय :- वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के परिप्रेक्ष्य में वनांचलों में निस्तार व्यवस्था।**

—०—

वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के लागू होने के पश्चात् ग्रामीणों को वनोपज संबंधी निस्तार की आवश्यकताओं की पूर्ति के संबंध में कुछ शंकाओं/कठिनाईयों के संबंध में शासन का ध्यान आकर्षित किया गया है। इस तारतम्य में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्रावधान ग्रामीणों की वनोपज पर आधारित वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधक नहीं है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 की मंशा भी इस विषय पर अत्यन्त स्पष्ट है। राज्य शासन द्वारा प्रदत्त निस्तार सुविधाओं की पूर्ति करना वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं है।

2/ उपरोक्त निर्धारित नीति के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में निस्तार व्यवस्था को निम्न प्रावधानों के अन्तर्गत रहते हुये संचालित किया जावे :—

- 1— निस्तार में दी गई रियायतों के अन्तर्गत वृक्षों की कोई भी कटाई एवं भूमि को पत्थर एवं खनिज प्रक्रिया तथा निर्माण कार्यों के लिये तोड़ना वर्जित है। निस्तार के अन्तर्गत वनोपज किसी व्यापारिक कार्यों में नहीं ली जावेगी। निस्तार सुविधा के अन्तर्गत वनोपज वन संग्रहण स्वतः श्रम द्वारा (मन्द्युअली) होगा एवं रथानीय ढुलाई जैसे बैलगाड़ी, ऊँटगाड़ी आदि से की जावेगी तथा कोई भी मशीन वाहन वनोपज की ढुलाई हेतु प्रयोग में नहीं लाया जायेगा।
- 2— ग्रामीण अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु बक्कल ज़ाड़े एवं अन्य पैदावार, कांटेदार झाड़ियों, गौड़ खनिज, फलफूल आदि निशुल्क एकत्रित कर सकते हैं, किन्तु वृक्षों अथवा जमीन की सतह पर उगे हुये पौधों को किसी प्रकार की क्षति नहीं महुंआयेंगे अन्यथा सुविधा पर रोक लगाई जा सकेगी। बंधन यह भी है कि वनोपज निस्तार के अन्तर्गत ब्रस, द्रक, ट्रैक्टर टॉली एवं साईकिल द्वारा परिवहन नहीं किया जा सकता। सूर्योदय के मूर्व या सूर्यास्त के पश्चात् वनोपज की निकासी नहीं की जायेगी। साथ ही निस्तार में प्राकृत वनोपज का विक्रय, दान, विनिमय वर्जित है।
- 3— निस्तार सुविधा के अन्तर्गत ग्रामीण वनों में भूमि सतह पर मड़े ब्लॉक्स, मुरम, रेत स्वयं के उपयोग के लिये बैलगाड़ी द्वारा ला सकते हैं, परन्तु क्षेत्र को खोदकर इनको निकालने पर मना ही है।

4— इससे स्पष्ट है कि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के पूर्व ग्रामीणों को जो निस्तार सुविधायें उपलब्ध थीं वे यथावत् अधिनियम के आने के पश्चात भी उपलब्ध रहेगी।

**सही/-**

(जी.ए.किन्हल )

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन वन विभाग

पृ.क्र. एफ26/99/99/10-3

भोपाल, दिनांक 27 नवम्बर 1999

**प्रतिलिपि :-**

1. समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल
2. समस्त वन संरक्षक, मध्यप्रदेश
3. समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश
4. समस्त वनमंडलाधिकारी (क्षेत्रीय) मध्यप्रदेश

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

**सही/-**

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग